



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012020-215628
CG-DL-E-22012020-215628

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2020/माघ 1, 1941

No. 270]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2020/MAGHA 1, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2020

का.आ. 281(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और माइल्ड स्टील ट्यूब्स (एपीआई विशिष्टता के अनुसार सीमलेस ट्यूब और ट्यूब्स को छोड़कर) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1978 के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक है, अतः एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

- .1 **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश को स्टील ट्यूब्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 कहा जाएगा।
(2) यह आदेश दिनांक 01.08.2020 से प्रभावी होगा।
2. **मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग-निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा:**
बशर्ते कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर इस आदेश से कुछ भी लागू नहीं होगा।
3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण.**—भारतीय मानक ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

तालिका

क्र.सं.	वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
.1	स्टील ट्यूब्स, ट्यूबुलर और अन्य रॉट स्टील फिटिंग	आईएस: 1239 (भाग 1) : 2004	स्टील ट्यूब्स, ट्यूबुलर और अन्य रॉट स्टील फिटिंग-विशिष्टता
.2	संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए स्टील ट्यूब्स	आईएस: 1167:2014	संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए स्टील ट्यूब्स - विशिष्टता
3	कुएं के लिए स्टील ट्यूब्स	आईएस: 4270 :2001	कुएं के लिए स्टील ट्यूब्स -विशिष्टता

नोट: इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण ऐसी अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।

[फा. सं.14/25/2016-एलईआई]

मनमीत के. नंदा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 21st January, 2020

S.O. 281(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and in supersession of the Mild Steel Tubes (excluding seamless tubes and tubes according to API specifications) (Quality Control) Order, 1978, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian standards, is of the opinion that it is necessary in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called Steel Tubes (Quality Control) Order, 2020.

(2) It shall come into force with effect from 01.08.2020.

2. Compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard as specified in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles meant for export.

3. Certification and enforcement authority.—The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (2) of the Table.

TABLE

Sl. No.	Goods and articles	IS Standards	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Steel Tubes, Tubulars and Other Wrought Steel Fittings	IS 1239 (Part-1): 2004	Steel Tubes, Tubulars and Other Wrought Steel Fittings-Specification

2.	Steel Tubes for Structural Purposes	IS 1161: 2014	Steel Tubes for Structural Purposes-Specification
3.	Steel Tubes Used for Water Wells	IS 4270: 2001	Steel Tubes Used for Water Wells-Specification

Note: For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No. 14/25/2016-LEI]

MANMEET K. NANDA, Jt. Secy.